

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/58/2019

अपीलार्थी:-

शुभराम पुत्र रामचन्द्र मु0पो0 कारोडा
तहसील बहरोड जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला
कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 27-08-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.06.19 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 06.08.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1343 दिनांक 19.08.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 12.06.19 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 1107 दिनांक 08.07.19 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पुनः पत्रांक 1343-44 दिनांक 19.08.19 जरिये तहसीलदार बहरोड के माध्यम से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)

जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज0)